

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

इन्द्राज वगैरा बनाम स्टेट व अन्य वगैरा
अपील 75 राज. भू-राजस्व अधिनियम
प्रकरण सं. 68/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
28.08.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 26.09.2017 को पेश हो।	N. 2 2362 11.9.17
26.09.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्टों को जारी नोटिस बाद। अवसर तालीम अप्रदात। रिपोर्टों सं० 03 की ओर से श्री काशीराम शर्मा, Adv. ने कालताना पेश किया, शा० सिमल को रिफॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 3.11.17 को पेश हो।	
3.11.17	पीठारसी अधिकारी अवकाश कबल पर कार्य में व्यस्त हैं। पक्ष कागन के अधिभाषक उपस्थित हैं। पत्रावली दिनांक 1.9.12.17 को पेश हो।	R.No. 344 का सम्मन वाट (1) को + R.No. 247 सम्मन अवसर ताली (1-94)
12/12/17	बार संघ के द्वारा कार्य सम्पन्न करने के कारण आज अधिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठारसी अधिकारी हैं। पत्रावली दिनांक 25.9/17 को पेश हो।	
27/1/18	बार संघ के द्वारा कार्य सम्पन्न करने के कारण आज अधिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठारसी अधिकारी हैं। पत्रावली दिनांक 27/1/18 को पेश हो।	
27/1/18	पीठारसी अधिकारी अवकाश कबल पर कार्य में व्यस्त हैं। पक्ष कागन के अधिभाषक उपस्थित हैं। पत्रावली दिनांक 27/1/18 को पेश हो।	

27/ 09/24

बार सच के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
आदर अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी 22/09/24 को पेश हो
शे पत्रावली दिनांक 06/3/24 को पेश हो

11/6

06/3/24

विजयन अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
आदर अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
शे पत्रावली दिनांक 29/1/24 को पेश हो

29/7/24

29.4.24

आधिवक्ता उभयपक्ष उपरो आधिवक्ता अपीलार्थी
की ओर से तलबना सम्मन पेश नहीं किया
गया। तलबना पेश करने हेतु हिदायत
डीगड पत्रावली आयन्डा डिपार्टमेंट
26-6-24 को पेश हो

13/

26-6-24

बार सच के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
आदर अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी 02/11/24 को पेश हो
शे पत्रावली दिनांक 12/8/24 को पेश हो

12/8/2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थ
स्वयं उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं
को पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक कर बार-बार आवाज
लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील
अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की
प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं
रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर नम्बर
से कम की जावे व बाद तंकमील जिला अभिलेखागार में जमा
कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगमानगर (राजस्थान)

2